

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

क्रमांक : 13

दिनांक : 29.01.2026

कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) एवं 450 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित करते हुए बमाह मार्च -2026 में निम्नांकित अवकाश के दिन राजसमन्द न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमा, जमानत आवेदन, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक कार्यों की सुनवाई बाबत निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को समय 11:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम. तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार रिमाण्ड ड्यूटी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1.	श्रीमती साक्षी शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	01.03.2026 02.03.2026 03.03.2026
2.	श्रीमती अनिता शर्मा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	08.03.2026
3.	श्री यतिन्द्र चौधरी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), राजसमन्द	14.03.2026 15.03.2026
4.	श्री विनय कुमार सौलंकी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा	20.03.2026 21.03.2026 22.03.2026
5.	श्रीमती संजु चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	26.03.2026
6.	श्री सुनील	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	29.03.2026
7.	श्री पियूष कुमार	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा	31.03.2026

निर्देश :-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हों तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।
- ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

—sd—
(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

दिनांक : 29.01.20265

क्रमांक : स्था0/2026/ 67

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द।
- श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित करावें।
- इंचार्ज, कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय व समस्त थानाधिकारी राजसमन्द क्षेत्र को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
- संबंधित मजिस्ट्रेट्स को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ई-मेल/व्हाट्सएप
- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई-कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- कार्यालय प्रति।

(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द